महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

अस्थायी कार्यालयः डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़

पत्रांकः 1073/कु0 का0/2023 दिनांकः 23/01/2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

विषयः—वित्तीय वर्ष 2022—23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सस्पेक्ट की श्रेणी में चिन्हित आवेदन—पत्रों को दिनांक 19.01.202 से 27.01.2023 के मध्य आनलाइन संशोधित कराये जाने तथा छात्र/छात्रा द्वारा संशोधन के उपरान्त शिक्षण संस्थान में जमा किये गये आवेदन पत्रों को दिनांक 20.01.2023 से 02.02.2023 तक आनलाइन वेरिफाइ/फारवर्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्रांकः शून्य/स0क0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2022—23, दिनांक 21/01/23 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022—23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जारी अद्यतन समय—सारिणी दिनांक 12.12.2022 के अनुसार शिक्षण संस्थान से फारवर्ड किये गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रो को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित बिन्दुओं पर स्क्रूटनी के उपरान्त सस्पेक्ट डाटा छात्र/छात्राओं के लांगिन पर दिनांक 19.01.2023 से 02.02.2023 के मध्य शिक्षण संस्थान द्वारा अपनी लागिन आई०डी० से आनलाइन वेरीफाई/फारवर्ड किया जाना है।

तत्क्रम में जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा है कि छात्रों द्वारा परीक्षाफल न निकलने की दशा में रिजल्ट नाट डिक्लेयर्ड ऐट आप्सन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया गया हो तो उन छात्रों से रिजल्ट भराते हुए संशोधित आनलाइन फार्म को संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन पत्रों को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(वी0पी0कौशल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner